कार्यालय उद्यान शास्त्री फल अनुसंधान केन्द्र ईंटखेड़ी बेरसिया रोड, भोपाल

मो नं. 09425620182, 9303315367, 9617253054

क्रमांक फ.अ. 2020–21/227

दिनांक : 18/08/2020

निविदा सूचना

सभी इच्छुक खरीददारों को सूचित किया जाता है कि फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी, बैरसिया रोड भोपाल में अमरूद फसल वर्ष 2020–21 के विक्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक खरीददार अपने–अपने भाव पत्र बन्द लिफाफे में उद्यान शास्त्री फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी में नीलामी तिथि में समय पर उपस्थित रहकर, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय सीहोर द्वारा गठित समिति के समक्ष अमरूद फसल को नीलामी द्वारा विक्रय किया जावेगा। अपने–अपने भावपत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर अपराहंत 2.00 बजे तक जमा करें। इसके बाद प्राप्त टेण्डरों पर विचार नहीं किया जावेगा। टेन्डर दिनांक 24.08.2020 को 3. 00 बजे के बाद अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय द्वारा गठित नीलामी समिति के सामने खोले जावेगे। जिसकी शर्ते निम्न होगीः–

1, प्रत्येक टेण्डर प्रपत्रक को मुख्य अमरूद बगीचे के लिये 25,000/-- एवं पाहरूआ अमरूद बगीचे के लिये 25000/- की राशि जमानत राशि के रूप में नगद जमा करना होगा। यह राशि टेण्डर के बाद पावती रसीद जमा करने से बाद वापस भुगतान कर दी जावेगी।

2, स्वीकृत टेण्डर की पूरी रकम ठेकेदार को 24 घण्टे में जमा करनी होगी अथवा इस बीच कोई अवकाश आता है तो आगामी कार्यालयीन दिवस में जमा होगी। ऐसा न करने पर द्वितीय स्थान वाले खरीददार को स्वीकृत टेण्डर की राशि (प्रथम स्थान वाले खरीददार की दर) परक्रय करने का अवसर होगा।

3.फसल तोड़ने की अंतिम तिथि अमरूद 31.03.2021 तक ही रहेगा।

4, किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न होने पर अधिष्ठाता, आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय सीहोर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

5, अमरूद फसल बगीचे का अवलोकन खरीददार स्वयं आकर कर सकते है।

6, फसल की चौकीदारी, रखरखाव एवं किसी भी तरह के नुकसान की पूर्ण जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

7, अमरूद फसल तुड़ाई के समय श्रमिकों के साथ हुई किसी भी तरह की दुर्घटना की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

8, अमरूद फसल की अवधि के दौरान प्रत्येक जाति के 50–50 फल प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय को निःशुल्क उपलब्ध कराने होगें।

9, उचित कीमत न आने पर टेण्डर/नीलामी निरस्त की जा सकती है।

10, अमरूद फसल की गूटी काटने पर ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

11, सिंचाई पानी उपलब्ध रहने पर ही दिया जा सकेगा। अधिकतम 3 पानी

12, कीटनाशक दवा एवं फफूंद नाशक दवा ठेकेदार को प्रदाय की जावेगी तथा छिड़काव की जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

13, नीलामी के पश्चात फल वृक्षों में हवा, आंधी, तूफान रोग एवं कीट व्याधि से हुए नुकसान की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। टेण्डर खुलने के पश्चात् अंकन 1000/– एक हजार रूपये इकरारनामा का खर्च ठेकेदार द्वारा किया जावेगा ! अन्तवर्तीय फसलों की खेती की जावेगी इस सम्बंध में ठेकेदार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

14, ठेकेदार को अपने निवास का पूर्ण पता राशन कार्ड/फोटो परिचय पत्र की छायाप्रति जमा करनी होगी जिससे उसके निवास का पता प्रमाणित हो सके।

15 ठेकेदार को अलग से अस्थाई विघुत कनेकशन बिजली जलाने के लिये लेना होगा।

16, अधिकतम निविदा बोली की राशि स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार समिति को होगा। साथ ही अधिकतम बोली हेतु निगोशएशन (बातचीत) सभी पार्टियों से एक साथ या अलग–अलग की जा सकेगी। समिति के आकलन अनुसार सर्वाधिक राशि प्राप्त होने पर नेगोशियेशन नहीं किया जायेगा।

17, टेण्डर की अधिकतम राशि समय पर जमा ना होने पर निविदाकर्ता की जमानत राशि वापिस नही की जावेगी।

18.नगद पैसा, चेक या डी. डी. की बैंक के नियमानुसार जमा होगा।

19. फल अनुसंधान केन्द्र ईंटखेड़ी बैरसिया रोड पर 11वें किलोमीटर पर बायें तरफ स्थित है।

20. विगति 22.07.2020 को की गई निलामी में पाहरूआ की अधिकतम राशि 5 लाख एवं मुख्य बगीचे की राशि 720000 आई थी। पुनः निविदा में राशि यही से शुरू होकर आगे बढ़ेगी।

नोट :– विशेष जानकारी हेतु प्रभारी फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी से सम्पर्क करें।

क्रमांक फ.अ.के./2020–21/228

दिनांक : 18/08/2020

चस्पा 1. स्थानीय नोटिस बोर्ड

प्रक्षेत्र प्रभारी
फल अनुसंधान केन्द्र, ईंटखेड़ी

प्रक्षेत्र प्रभारी
फल अनुसंधान केन्द, ईटखेड़ी
भोपाल (म.प्र.)